

प्रेषक,

वीरेन्द्र नाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्विद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

विषय:- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में सांध्यकालीन कक्षाओं को संचालित करने के संबंध में।
महोदय,

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के क्रम में केवल छात्रों के लिए कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति विशेष परिस्थितियों में सत्र 2016-17 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) जिस कालेज को अनुमति दी जायेगी वह अनिवार्य रूप से प्रथम पाली एवं सांध्यकालीन पाली की समय-सारिणी विश्विद्यालय को अपने आवेदन के साथ उपलब्ध करायेंगे जिसे विश्विद्यालय अनुमोदित करेगा। विश्विद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि इस समय-सारिणी का अनुपालन किया जा रहा है। ऐसा न किये जाने की स्थिति में कालेज को सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति विश्विद्यालय समाप्त कर देगा और इन कक्षाओं का संचालन बन्द करा देगा।
- (2) ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई कालेज सांध्यकालीन कक्षाएं संचालित करना चाहता है तो विश्विद्यालय यह परीक्षित करेगा कि उस कालेज से सम्बन्धित विकास खण्ड में स्थित अन्य सभी प्रकार के कालेजों में उपलब्ध सीटें भर चुकी हैं। यदि विकास खण्ड में कोई भी कालेज ऐसा अवशेष रहता है जिसमें सभी सीटें नहीं भरी हैं तो उस विकास खण्ड के किसी कालेज को सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (3) नगर पंचायत एवं नगरपालिका परिषद् क्षेत्रों में यदि कोई कालेज सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति मांगते हैं तो विश्विद्यालय यह परीक्षित करेंगे कि सम्बन्धित नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित अन्य सभी कालेजों में उपलब्ध सभी सीटें भर चुकी हैं। यदि किसी कालेज में सीटें उपलब्ध रहती हैं तो अन्य कालेज को सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (4) नगर क्षेत्र में स्थित कोई कालेज यदि सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति चाहता है तो विश्विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर के जिस क्षेत्र में आवेदनकर्ता कालेज स्थित है, उस जोन में किसी अन्य कालेज में सीटें रिक्त न हों। क्षेत्र में किसी अन्य कालेज में सीटें रिक्त होने की स्थिति में सांध्यकालीन कक्षाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (5) इन कक्षाओं के निमित शासन किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान विश्विद्यालय/महाविद्यालय को नहीं देगा।
- (6) यह कक्षाएं विश्विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा स्ववित्तपैषित योजनाओं के तहत चलायी जायेंगी।
- (7) उक्त कक्षाओं के चलाने के निमित विश्विद्यालय/महाविद्यालय को किसी भी शिक्षक के नये पद की स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा शिक्षण कार्य मानदेय/रिटार्ड अध्यापकों के माध्यम से कराया जायेगा।
- (8) उक्त अनुमति देने के लिए विश्विद्यालय के कुलपति अधिकृत होंगे जो कि महाविद्यालय/विश्विद्यालय से सूचना प्राप्त होने पर महाविद्यालय/विश्विद्यालय/संकाय का पैनल निरीक्षण कराकर विश्विद्यालय की कार्यपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त ही इस प्रकार की कक्षाएं चलाये जाने की अनुमति दे सकेंगे।

- (9) ऐसी सभी कक्षाओं में प्रवेश पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण के नियम, जैसे शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं, अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

भवदीय,
(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।

संख्या-6/2016/754(1)/सत्र-1-2016, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
- (2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (5) निजी सचिव, माओ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।